उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा0नि0—वे0आ0)अनुमाग–7 संख्या–ॐ७७/ xxvII(7)02/2016 देहरादूनः दिनांक्ः दिसम्बर, 2016 कार्यालयं ज्ञाप

प्रदान करते है।

विषयः राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या—1/2/2016—ई.॥(बी) दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के कम में पूर्व दरों को अतिकमित करते हुये पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति

- 2. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जिसमें एक रूपये का कोई अंश निहित हो, उसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।
- उ. यह आदेश माठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा!
- 4. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।
- 5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—ए—1—252/ दस/10(3)—81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- 6. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 No 297 /xxvII(7)02/2016 Dehradun: Dated3eDec., 2016

## Office Memorandum

Subject:

Grant of Dearness Relief to State Government Civil /Family Pensioners which pension is revised from 01 January, 2016

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief for pensioners w.e.f. 01-07-2016 @ 2% for revised pension superseding the earlier rates as is sanctioned vide Office Memorandum No. 1/2/2016-E.II(B) Dated 04 November, 2016 of Ministry of Finance, Government of India.

- 2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded of to next higher rupee.
- 3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.
- 4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.
- 5. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(अमित-सिंह नेगी) सचिव।

(Amit Singh Negi) Secretary. संख्या—२१२ / XXVII(7)02 / 2016, तद्विनांक । प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
- 5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।

No 297 / XXVII(7)02/2016, the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- All Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 2- Additional Chief Secretary/Secretary, Pubic Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhandwith the request that the admisibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- 3- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 4- All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
- 5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- 7- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- 8- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers/Sub Triasury Officer, Uttarakhand.
- 9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand please.

10- Director, NIC Dehradun.

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)

अपर सचिव।

By Order,

(Arunendra Singh-Chauhan

Additional Secretary.